बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांकः –प्र0–10 / विविध–03–28 / 2017 3089(s) पटना, दिनांकः 17/4/18

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा0उ0प0 सहित),
प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0
मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लि0
सभी अधीक्षण अभियंता (रा0उ0प0 सहित),
सभी कार्यपालक अभियंता (रा0उ0प0 सहित),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषयः–**प्राक्कलन निर्माण हेतु दिशा–निर्देश।**

महाशय,

विभिन्न कार्यों के प्राक्कलनों को स्थायी वित्त समिति या लोक वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के क्रम में ऐसा पाया जाता है कि प्राक्कलनों में जो प्रावधान किये जा रहे हैं, उनका पर्याप्त Justification अभियंता प्रतिवेदन में परिलक्षित नहीं रहता है। फलस्वरूप प्राक्कलन में किये गये प्रावधानों को Justify करना कठिन हो जाता है। ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि कई प्राक्कलनों में अनावश्यक अत्यधिक भारी प्रावधान किये जाते हैं, जिसके कारण निर्माण लागत में वृद्धि हो जाती है।

2. सम्यक् विचारोपरान्त यह निदेश दिया जाता है कि संबंधित मुख्य अभियंता तकनीकी अनुमोदन के पूर्व, प्राक्कलन में किये गये प्रावधानों की समीक्षा अपने अधीनस्थ तीन अभियंताओं की समिति गठित करके करवाना सुनिश्चित करेंगे। यह समिति स्थायी होगी, जो अंचलों से प्राप्त होने वाले प्रत्येक प्राक्कलन के प्रावधानों की गहराई से समीक्षा करेगी।

3. किसी प्राक्कलन विशेष में यदि विशिष्ट प्रकृति के कार्य का प्रावधान किया जाता है तो उसका युक्तिसंगत Justification अभियंता प्रतिवेदन में होना चाहिए।

4. यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक कार्य का प्राक्कलन, संबंधित कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता द्वारा क्षेत्र भ्रमण के बाद ही बनाया जाय। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राक्कलन पर अंकित होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण–पत्र नहीं होने की स्थिति मे किसी प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

5. प्रतिवेदन में निम्नलिखित बिन्दुओं पर कंडिकावार सूचनायें अवश्य दर्ज होनी चाहिए :–

5.1. योजना का की–प्लान :–

5.2. पथ की विस्तृत विवरणी :–

16-4-18

(i) प्रारंभ बिन्दु :–

(ii) अंत बिन्दु :–

(iii) मुख्य स्थान, जहाँ से पथ गुजरता है :–

(iv) भौगोलिक स्थिति :–

(v) पथ के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी :–

5.3. Existing Road के Crust की वर्त्तमान स्थिति :–

5.4. Proposed Crust का Specification एवं Existing के साथ तुलनात्मक विवरणी :–

5.5. ROW Kilometerwise का Table :–

5.6. Existing पुल/पुलिया की विवरणी एवं अतिरिक्त प्रस्तावित पुल/पुलिया के तर्क के साथ विवरणी :–

5.7. Traffic सर्वे के आंकड़े और उस आधार पर Design के प्रावधान :–

5.8. निर्माण सामग्री की ढुलाई का लीड चार्ट :–

5.9. प्राक्कलन में सामान्य प्रावधानों के अलावा यदि किसी विशिष्ट प्रकृति का प्रावधान किया जाता है, जिससे लागत में वृद्धि होती है, उसका Justification एवं विवरणी, यथा– Protection Work, Drain, PQC, Retaining Wall आदि :–

5.10 उक्त सूचनायें अन्य संगत जानकारी Abstract के रूप में मुख पृष्ठ पर रहेगी, जिसके अत में निम्न प्रमाण–पत्र दर्ज किया जायेगा :–

"प्रमाणित किया जाता है कि प्राक्कलन में किये गये प्रावधान, IRC Code के प्रावधानानुसार स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है। पथ की वर्त्तमान स्थिति एवं किये गये प्रावधानों के संबंध में कार्यपालक अभियंता एवं अधीनस्थ अभियंताओं द्वारा स्थल भ्रमण के उपरान्त प्राक्कलन तैयार किया गया है।"

6. प्राक्कलन में पथ की वर्त्तमान स्थिति को प्रदर्शित करने वाले कम–से–कम 20 फोटोग्राफ/10 किमी0 संलग्न की जाय। फोटोग्राफ में विशेष प्रावधान किये गये स्थल को विशिष्ट तौर पर दर्शाया जाय।

7. विशेष पदाधिकारी (या0) के कार्यालय में 30.04.2018 के बाद से ऐसा ही प्राक्कलन प्राप्त किया जायेगा, जिसमें उक्त प्रपत्र के अन्तर्गत सूचनायें समावेशित हों।

विश्वासभाजन,

16.4.18

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव।